झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या– 3760 दिनांक 06.06.2009,
2. उपायुक्त, देवघर के पत्रांक– 1153 दिनांक 28.12.2005 द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र–'क'
3. श्री ए0के0 पाण्डेय, भा0प्र0से0 राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन पत्रांक– 165 दिनांक 12.04.2012
4. आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान,
5. आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक– 201 दिनांक 16.07.2012 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा।

श्री उदय कान्त पाठक, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सारठ, देवघर के विरूद्ध अंचल कार्यालय सारठ के रोकड़ बही में उनके कार्यकाल में 2,14,130.82/– (दो लाख चौदह हजार एक सौ तीस रूपये ब्रेरासी पैसे) का अंतर पाये जाने के फलस्वरूप वित्त नियमावली के संगत नियमों के उल्लंघन के आरोप में उपायुक्त, देवघर के पत्रांक– 1153 दिनांक 28.12.2005 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर प्रतिवेदित किया गया। प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0– 3760 दिनांक 06.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए श्री ए0के0 पाण्डेय, भा0प्र0से0 आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस निर्णय के तहत् श्री पाठक को संचालन पदाधिकारी के समक्ष संकल्प प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अपना लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करने एवं उसकी प्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

आरोपित पदाधिकारी से लिखित बचाव बयान प्राप्त कर संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् विभागीय कार्यवाही का संचालन कर पत्रांक– 165 दिनांक 12.04.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुंसगत कागजात के आधार पर मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, सारठ (देवघर)

सम्प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू को दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का वृहत् दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत करने का निर्णय लिया गया। तदुपरांत आरोपित से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया गया तथा उन्हें कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के पालन में असफल रहने का दोषी पाया गया है। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री उदय कान्त पाठक, झा0प्र0से0 तत्कालीन अचंलाधिकारी, सारठ, देवघर सम्प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू को निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

"दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक;"

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री उदय कान्त पाठक, झा0प्र0से0 तत्कालीन अचंलाधिकारी, सारठ, देवघर सम्प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–2/आरोप–49/2006 का॰–...../ राँची, दिनांक –.....सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक–2/आरोप–49/2006 का॰–10342/ राँची, दिनांक –7.....सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री ए0के0 पाण्डेय, भा0प्र0से0, महानिदेशक, श्रीकृपा/उपायुक्त, देवघर/उपायुक्त, पलामू/विभागीय प्रशाखा– 2 एवं 2ए (चारित्री) कोषांग/कोषागार पदाधिकारी, पलामू/श्री उदय कान्त पाठक, झा0प्र0से0 तत्कालीन अचंलाधिकारी, सारठ, देवघर सम्प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/12

सरकार के उप सचिव ।